

**भाग - III**

**हरियाणा सरकार**

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

(समितियां)

**अधिसूचना**

दिनांक 28 जनवरी, 2013

संख्या का० आ० 14/ह० अ० 16/1994/धा० 87/2013.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय (समितियां), अधिसूचना संख्या का० आ० 46/ह० अ० 16/1994/धा० 149/2012, दिनांक 21 जून, 2012 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सम्बद्ध नगर निगम की सीमाओं के भीतर भवन तथा भूमि पर कर की दर निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात् :—

**1. रिहायशी प्लोटों/गृहों पर सम्पत्ति कर :**

- (i) 250 वर्ग गज तक आकार के प्लॉट सहित गृह (स्वयं रहने वाले) और 500 वर्ग फुट तक के आकार के फ्लैट (स्वयं रहने वाले) पर ₹1.00 प्रति वर्ग गज;
- (ii) (क) 100 वर्ग गज से अधिक किन्तु 250 वर्ग गज तक की (100 वर्ग गज तक के आकार के प्लॉट को छूट होगी) खाली रिहायशी भूमि की दशा में कर ₹ 0.50 प्रति वर्ग गज होगा ;  
(ख) 250 वर्ग गज से अधिक खाली रिहायशी भूमि की दशा में, कर कलक्टर दर प्रति वर्ग गज x 0.00015 x वर्ग गज में प्लॉट का आकार होगा;
- (iii) 250 वर्ग गज से अधिक आकार के प्लॉट चाहे स्वयं रह रहे हों या किराये पर दिये गये हों, पर निर्मित गृहों तथा 500 वर्ग फुट से अधिक के फ्लैट्स के लिए सम्पत्ति कर कलक्टर दर प्रति वर्ग गज x 0.00075 x वर्ग गज में निर्मित क्षेत्र होगा तथा गणना प्रयोजनों के लिए निर्मित भाग वर्ग गज में माना जायेगा। तथापि, प्लॉट को खाली के रूप में विचारते हुए इस प्रकार संगणित कर दायित्व प्लॉट की संगणित राशि से कम नहीं होगा;
- (iv) 250 वर्ग गज से कम तथा 500 वर्ग फुट तक के फ्लैट की किराये की रिहायशी सम्पत्तियों की दशा में, दर उक्त खण्ड (iii) के अनुसार संगणित की जायेगी।

**2. सम्पत्ति कर (वाणिज्यिक) :**

- (i) खाली वाणिज्यिक प्लॉटों की दशा में, प्लॉट के आकार को विचार में लाये बिना कर कलक्टर दर प्रति वर्ग गज x 0.000375 x वर्ग गज में प्लॉट का आकार होगा;
- (ii) अन्य वाणिज्यिक सम्पत्तियों के लिए सम्पत्ति कर चाहे किराये पर दी गई हो या नहीं कलक्टर दर प्रति वर्ग गज x 0.001875 x सम्पत्ति के निर्मित भाग का आकार वर्ग गज में होगा। गणना प्रयोजनों के लिए निर्मित भाग प्रति वर्ग गज में माना जायेगा। तथापि, प्लॉट को खाली के रूप में विचारते हुए इस प्रकार संगणित कर दायित्व खाली प्लॉट की संगणित राशि से कम नहीं होगा :

परन्तु 50 वर्ग गज तक की वाणिज्यिक सम्पत्तियों के लिए कर कलक्टर दर  $\times 0.001125 \times$  सम्पत्ति के निर्मित भाग का आकार वर्ग गज में होगा तथा गणना प्रयोजनों के लिए निर्मित भाग प्रति वर्ग गज में माना जायेगा।

3. **सम्पत्ति कर (संस्थागत तथा औद्योगिक):**

- (i) खाली संस्थागत तथा औद्योगिक प्लेटों की दशा में, प्लेट के आकार को विचार में लाये बिना कर कलक्टर दर प्रति वर्ग गज  $\times 0.00020 \times$  वर्ग गज में प्लेट का आकार होगा; तथा
- (ii) संस्थागत तथा औद्योगिक सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर चाहे किराये पर दी गई हो या स्वयं रह रहे हों, कलक्टर दर प्रति वर्ग गज  $\times 0.001 \times$  सम्पत्ति के निर्मित भाग का आकार वर्ग गज में होगा। गणना प्रयोजनों के लिए निर्मित भाग प्रति वर्ग गज में माना जायेगा। तथापि, प्लेट को खाली के रूप में विचारते हुए कर दायित्व उक्त खाली प्लेट की संगणित राशि से कम नहीं होगा।

4. **सम्पत्ति कर (सम्पत्ति का मिश्रित प्रयोग):**

परिसरों के मिश्रित प्रयोग की दशा में, कर का दायित्व विभिन्न प्रयोग के अधीन क्षेत्र के अनुसार होगा, तथा तदानुसार घोषित/संगणित किया जायेगा।

5. **छूट :**

- (i) गैर- आर०सी०सी० निर्माण को 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी;
- (ii) 25 (पच्चीस) वर्ष से अधिक पुरानी सम्पत्ति को 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी;
- (iii) 250 वर्ग गज से अधिक आकार के प्लेट तथा 500 वर्ग फुट से अधिक के फ्लैट की स्वयं के अधिभोग वाली रिहायशी सम्पत्तियों की दशा में रियायत सम्बन्धित नगर निगम द्वारा 50 प्रतिशत तक दी जाएगी;
- (iv) धार्मिक सम्पत्तियों (केवल वास्तविक धार्मिक संरचनाओं पर) अनाथालयों, भिक्षुक-गृहों, नगर पालिका भवनों, श्मशान/कब्रिस्तानों पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी;
- (v) भूतपूर्व सैनिकों या मृतक सैनिकों के परिवारों, भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व केन्द्रीय पैरासैनिक बल कार्मिकों द्वारा स्वामित्वाधीन 250 वर्ग गज तक सभी रिहायशी निर्माणों को 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी :

परन्तु वे हरियाणा राज्य में कोई अन्य रिहायशी मकान नहीं रखते हों तथा इसमें स्वयं निवास कर रहे हों तथा मकान का कोई भाग किराये पर नहीं दे रखा हो :

परन्तु यह और कि मकान को किराये पर देने की शर्त उन पर लागू नहीं होगी जो प्रति मास एक हजार दो सौ पचहत्तर रुपये या कम पेंशन राशि प्राप्त कर रहे हैं;

- (vi) युद्ध विधवाओं द्वारा स्वामित्वाधीन सभी रिहायशी निर्माणों को 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी :

परन्तु वे हरियाणा राज्य में कोई अन्य रिहायशी मकान नहीं रखती हों तथा इसमें निवास कर रही हों और मकान का कोई भाग किराये पर नहीं दे रखा हो:

(vii) केवल बागवानी तथा कृषि प्रयोजनों के लिए एक एकड़ तथा अधिक के खाली प्लाट पर कोई भी सम्पत्ति कर नहीं होगा:

परंतु स्वामी उपरोक्त छूट में से किसी एक छूट का चयन कर सकता है जो उसको अनुज्ञेय है।

**6. संग्रह वर्गीकरण :**

- (i) निर्धारिती का जीवन और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कर को बैंक के माध्यम से जमा करवाने के लिए अनुज्ञात करने हेतु प्रयास किया जाएगा;
- (ii) पारदर्शिता रखने तथा न्यूनतम भार सुनिश्चित करने के लिए, बैंकर से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे तथा उसकी प्रक्रिया के बाद सेवा प्रभार की दर को तदनुसार अन्तिम रूप दिया जाएगा। तथापि, अन्तिम रूप देने से पूर्व इस सम्बन्ध में अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त किया जाएगा।

**4. पुराना कर संग्रहण :**

- (i) कराधान तथा दरों की नई प्रणाली वित्त वर्ष 2010-11 से आगे इस शर्त सहित लागू होगी कि अधिसूचना से पूर्व अवधि के लिए सम्पत्ति मालिक को नई अथवा पुरानी नीति जो उन द्वारा चुनी जाती है, के अनुसार भुगतान करने का विकल्प होगा;
- (ii) पूर्व वर्षों के लम्बित बकायों/देयों/विवादों जिसमें न्यायालय मामलें शामिल हैं, जिसके सम्बन्ध में नोटिस/बिल जारी किये गये हों अथवा नहीं, सम्पत्ति मालिक को वर्तमान दरों (अर्थात् वर्ष 2012-2013 के कलक्टर रेट) पर नई प्रणाली के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए विकल्प होगा तथा उसका भुगतान सभी ऐसे विवादों/देयों/बकायों को भुगतान के रूप में माना जायेगा। कोई भी ब्याज अथवा शास्ति उद्गृहीत नहीं की जायेगी। यह विकल्प केवल 30 जून, 2013 तक क्षमा स्कीम के रूप में उपलब्ध होगा।

**8. शास्तियां :**

- (i) गलत घोषणा/गैर-अदायगी की दशा में, कर अपवंचन की राशि के समकक्ष शास्ति उद्गृहीत की जाएगी, जो न्यूनतम 100 रुपये के अध्यक्षीन होगी;
- (ii) देरी से अदायगी की दशा में, 1.5 प्रतिशत प्रति मास या उसके भाग की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा;
- (iii) यह ब्याज शास्ति के अतिरिक्त गैर अदायगी का पता लगाने की दशा में भी प्रभारित किया जायेगा;
- (iv) ब्याज/शास्ति (पृथक रूप से) प्रारम्भिक दायित्व से अधिक नहीं होगा।

पी० राघवेन्द्र राव,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

[Authorised English Translation]

## HARYANA GOVERNMENT

### URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT (COMMITTEES)

#### Notification

The 28th January, 2013

**No. S.O. 14/H.A. 16/1994/S. 87/2013.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), and in supersession of Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 46/H.A. 16/1994/S. 87/2012, dated the 21st June, 2012, the Governor of Haryana hereby specifies the rate of tax on buildings and land within the limits of the concerned Municipal Corporation as per following methodology, namely:—

#### 1. Property tax on residential plots/houses :

- (i) ₹ 1.00 per square yard on houses (self occupied) with plot sizes upto 250 square yards and flat sizes up to 500 square feet (self occupied);
- (ii) (a) in the case of vacant residential land more than 100 square yard but up to 250 square yards (plot size up to 100 square yards shall be exempted), the tax shall be ₹ 0.50 per square yard;  
(b) in case of vacant residential land, more than 250 square yards, the tax shall be collector rate per square yard x 0.00015 x size of the plot in square yards;
- (iii) for constructed houses whether self occupied or rented on plot size of more than 250 square yards and flats of more than 500 square feet, property tax shall be collector rate per square yard x 0.00075 x constructed area in square yards and for calculation purposes, the constructed portion in square yards shall be taken. However, the tax liability so calculated shall not be less than one if it is calculated by considering the plot as vacant one;
- (iv) in case of rented residential properties even under 250 square yards and flats upto 500 square feet, the rate shall be calculated as per clause (iii) above.

#### 2. Property tax (Commercial):

- (i) in case of vacant commercial plots irrespective of the size of the plot, the tax shall be collector rate per square yard x 0.000375 x size of the plots in square yards.
- (ii) property tax for other commercial properties whether rented or not shall be at collector rate per square yard x 0.001875 x size of constructed portion of property in square yards and for calculation purposes, the constructed portion in square yards shall be taken. However, the tax

liability so calculated shall not be less than one if it is calculated by considering the plot as vacant one:

Provided that for commercial properties upto 50 square yards, the tax shall be collector rate x 0.001125 x size of constructed portion of property in square yards and for calculation purposes, the constructed portion in square yards shall be taken.

**3. Property tax (Institutional and Industrial) :**

- (i) in case of vacant institutional and industrial plots irrespective of the size of the plot, the tax shall be collector rate per square yard x 0.00020 x size of the plots in square yards; and
- (ii) property tax on institutional and industrial property whether rented or self occupied shall be at collector rate per square yard x 0.001 x size of the constructed portion of property in square yards. For calculation purposes, the constructed portion in square yards shall be taken. However, the tax liability shall not be less than one if it is calculated by considering the said plot as vacant one.

**4. Property tax (Mixed Use of Property):**

In case of mixed use of premises, the liability of tax shall be as per area under different use and shall be declared/calculated accordingly.

**5. Rebate :**

- (i) 25% rebate shall be given to non-RCC construction;
- (ii) 25% rebate shall be given to property more than 25 (twenty five) years old;
- (iii) in case of self occupied residential properties of plot size of more than 250 square yards and flats of more than 500 square feet, the concession up to 50% shall be given by the respective Municipal Corporation;
- (iv) 100% rebate shall be given on religious properties (only of real religious structures), Orphanages, Alm Houses, Municipal Buildings, Cremation/Burial Grounds;
- (v) 100% rebate shall be given to all residential buildings upto 250 square yards owned by ex-servicemen or families of deceased soldiers, ex-servicemen and ex-central paramilitary force personnel:

Provided that they have no other residential house in Haryana State and are residing in it themselves and have not let out any portion of the house:

Provided further that the condition of letting out of the house shall not apply to those who are in receipt of pension amounting to ₹ one thousand two hundred and seventy-five per month or less.

- (vi) 100% rebate shall be given to all residential buildings owned by war widows:

Provided that they have no other residential house in Haryana State and are residing in it and have not let out any portion of the house;

- (vii) there shall be no property tax on vacant plot of one acre and above for Horticulture and Agriculture purposes only:

Provided that the owner may choose anyone of the above rebates which are admissible to him.

**6. Collection methodology :**

- (i) an effort shall be made to make assessee's life more comfortable by allowing to deposit tax through banks.
- (ii) to maintain transparency and to ensure minimum burden, offers will be invited from the bankers and after processing the same, rate of service charges will be finalized accordingly. However, before finalization, approval in this regard will be obtained from State Government.

**7. Old tax collection :**

- (i) the new system of taxation and rates shall be applicable from the financial year 2010-11 onwards with the stipulation that for the period prior to notification, the property owners shall have the option to pay as per the new or old policy, whichever is opted by them.
- (ii) in case of pending arrears/dues/dispute including court case, of previous years, in respect of which notice/bills have been issued or not, the property owners shall have the option to pay tax as per the new system at current rates( i.e. Collector Rates for the year 2012-13) and payment of the same shall be considered as settlement of all such disputes/dues/arrears. No interest or penalty shall be leviable. This option shall be available as amnesty scheme only up to 30th June, 2013.

**8. Penalties :**

- (i) in case of mis-declaration/non-payment, penalty equal to the amount of the tax evaded shall be leviable, subject to a minimum of ₹ 100;
- (ii) in case of late payment, interest @1.5% per month or part thereof shall be charged;
- (iii) this interest shall also be charged in case of detected non-payment in addition to the penalty;
- (iv) the interest penalty (separately) shall not exceed the initial liability.

P. RAGHAVENDRA RAO,

Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.